FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0223 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/08/2025 18:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:10 बजे **Time To (समय तक):** 14:11 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/08/2025 **Time (समय):** 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/08/2025 18:44:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PARISAR KARYALAYA PANCHAYAT, SAMITI NAINWA BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LOKESH KUMAR NAGAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH PRASAD NAGAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GUDHA DEVJI, NAINWA, NAINWA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GUDHA DEVJI, NAINWA, NAINWA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 9[redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KANHAIYA LAL GAUTAM		पिता:DURGALAL	1. VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER,GRAM PANCHAYAT GUDHA DEVJI,ADDITIONAL CHARGE BALAPURA OR,TEHSIL NAINWA,NAINWA,BUNDI,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	6000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 20.08.2025 को समय 1.10 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद नागर जाति धाकड उम्र 27 साल निवासी ग्राम गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी ने एसीबी चौकी बून्दी पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री इस्माईल अंसारी, सहायक उप निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि- मै लोकेश कुमार नागर निवासी गुढा देवजी तह. नैनवां जिला बून्दी का रहने वाला हूं। हमारे पुराने मकान की जगह का आवासीय भूमि का पट्टा मेरे पिताजी जगदीश प्रसाद नागर के नाम बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसका पट्टा बनकर हमे प्राप्त हो चुका है। जिसके हमने 4500 रूपये जमा करा दिये थे। उक्त पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिए पंजीयक अधिकारी के समक्ष कन्हैयालाल गौतम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गुढा देवजी की उपस्थिती एवं पंजीयन के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर की आवश्कता रहती है। इसके लिये कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया तो उन्होने इस कार्य के लिए मेरे से 6000 रूपये रिश्वत की मांग की है। मै गरीब आदमी हूं। पैसे नही दे सकता हूं। मेरी कन्हैयालाल जी से कोई रंजिश नही है। मै उसे 6000 रूपये रिश्वत की राशि के पैसे नही देना चाहता हूं। मै उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र श्री इस्माईल अंसारी सउनि द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखकर परिवादी को रवाना किया एवं श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस के चौकी हाजा पर उपस्थित आने पर उनके समक्ष पेश किया गया। श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का अवलोकन कर कार्यालय में पदस्थापित श्री मनोज कुमार कानि को परिवादी के मोबाईल नम्बर से अवगत करवाये जाकर, परिवादी से सम्पर्क कर आईन्दा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने निर्देश दिये गये। दिनांक 25.08.2025 को मनोज कुमार कानि ने श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी श्री लोकेश नागर ने मेरे मोबाईल पर अभी थोडी देर पहले फोन पर वार्ता कर बताया है कि संदिग्ध आरोपी मेरे से आज रिश्वत मांग कर सकता है। उक्त सूचना पर कानिस्टेबल मनोज को परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये जाकर कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवा कर मनोज कानि को सुपुर्द कर परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने हेतु सरकारी बोलेरो मय चालक श्री प्रेमप्रकाश के पंचायत समिति नैनवा क्षेत्र रवाना किया गया। इसके बाद कानि0 मनोज कुमार कानि मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय सरकारी बोलेरो चालक प्रेम प्रकाश के वापस चौकी पर आया तथा कानिस्टेबल मनोज कुमार द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि- मै एवं प्रेम प्रकाश चालक मय सरकारी बोलेरो के चौकी बून्दी से रवाना होकर कस्बा नैनवां पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर से उसके मोबाईल पर सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर बुलाया। परिवादी करीब 5-10 मिनट बाद हमारे पास आया। इसके बाद मै व परिवादी दोनो परिवादी की मोटर साईकिल पर बैठकर नैनवां बाईपास रोड रवीन्द्र स्कूल के पास पहुंचे, जहां पर निर्देशानुसार परिवादी लोकेश कुमार नागर को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर, चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द स्थिती में सम्भलाया गया एवं आरोपी ग्राम विकास अधिकारी कन्हैयालाल के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पंचायत समिति नैनवां रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुये मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे बन्द हालात में देकर बताया कि आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवां के बाहर मिला, जिससे मेरी रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हो गई है, ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे पिता के नाम दिनांक 21.07.2025 को जारीशुदा पट्टे के पंजीयन दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने एवं पंजीयक कार्यालय देई में उपस्थित होने के लिए मेरे से 6 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है तथा आरोपी ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत राशि मंगलवार को लेकर बुलाया है। मेरे व ग्राम विकास अधिकारी कन्हैयालाल के मध्य जो भी वार्ता हुई है, वह इस डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना

पाया गया। इस पर मन कानिस्टेबल ने परिवादी से रिश्वत राशि व्यवस्था करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मै मंगलवार को पैसो का इंतजाम करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इसके बाद मै व परिवादी दोनो उसकी मोटर माईकिल में बैठकर बटवाडिया की टेक पहुंचे, जहां पर निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर मौके से रवाना कर मन कानिस्टेबल मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक प्रेम प्रकाश के नैनवां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय बून्दी आये। श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कथित आरोपी द्वारा परिवादी से 6 हजार रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया है। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र मय सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन ज्ञानचन्द उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही की प्रक्रिया में मन ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर द्वारा दिनांक 20.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर रिकोर्ड वार्ता को सुना गया तो कथित आरोपी द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम आवासीय भूमि के जारीशुदा पट्टे के पंजीयन करवाने की एवज में 6 हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाया गया। दिनांक 26.08.2025 को समय 11.45 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर उपस्थित एसीबी चौकी बून्दी आया। मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपना परिचय देकर परिवादी द्वारा दिनांक 20.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की तो परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि मेरे पिता के नाम पैतृक भूमि पर आवासीय पट्टा बनाने एवं उक्त पट्टे का पंजीयन करवाने की एवज में ग्राम पंचायत गुढा देवजी का ग्राम विकास अधिकारी कन्हैयालाल मेरे से 4500 रूपये प्राप्त कर चुका है एवं 6 हजार रूपये और रिश्वत की मांग कर रहा है। जबकि पट्टा बनाने की प्रक्रिया में मात्र 250 रूपये की रसीद जारी की जाती है। जिसकी शिकायत मैने दिनांक 20.08.2025 को आपके कार्यालय में पेश की थी तथा कल दिनांक 25.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मेरी कन्हैया लाल सचिव से वार्ता हुई, जिसमें उन्होनें 6 हजार रूपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की है। मै आज रिश्वत में दी जाने वाली 6 हजार रूपये राशि की व्यवस्था करके आया हूं। परिवादी को दिनांक 25.08.2025 को रिकोर्ड वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी कन्हैयालाल की होना स्वीकार किया गया। परिवादी से पूछताछ एवं रिकोर्ड वार्ता को सुनने से कथित आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि होना पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना तय किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि को ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 637 दिनांक 26.08.2025 देकर श्रीमान अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी के कार्यालय रवाना किया गया । श्री मनोज कुमार कानि कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी से मय दो स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड खटकड बून्दी व श्री मुकेश कुमार राठौर कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बून्दी के उपस्थित कार्यालय वापस आया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी लोकेश कुमार नागर एवं स्वतंत्र गवाहो का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहो को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो स्वतंत्र गवाहो द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर तथा आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 25.08.2025 को हुई रिश्वत मांग वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी लोकेश कुमार नागर से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी । इसके बाद उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये मन उप अधीक्षक ज्ञानचन्द के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स.नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 6EN 694962 2 एक नोट पांच सौ रूपये 3LK 482634 3 एक नोट पांच सौ रूपये 2NV 267042 4 एक नोट पांच सौ रूपये 5WS 522863 5 एक नोट पांच सौ रूपये 3BR 461922 6 एक नोट पांच सौ रूपये 9SS 269847 7 एक नोट पांच सौ रूपये 2NF 425117 8 एक नोट पांच सौ रूपये 8MF 712213 9 एक नोट पांच सौ रूपये 1CB 851910 10 एक नोट पांच सौ रूपये 1TS 554179 11 एक नोट पांच सौ रूपये 2DF 217753 12 एक नोट पांच सौ रूपये 0AP 853016 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये, श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी लोकेश कुमार नागर की जामा तलाशी गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा से लिवाई गई। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम

कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। परिवादी ने मन उप पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आज मेरे आवश्यक कार्य है, इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है, आईन्दा आरोपी से सम्पर्क होने पर मै आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी के कथनानुसार उक्त दिनांक 26.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने के कारण पाउडरयुक्त रिश्वत राशि को लिफाफे में रखकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई एवं परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर एवं स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा व श्री मुकेश कुमार राठौर को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर एसीबी चौकी बून्दी से रवाना किया गया। दिनांक 27.08.2025 को समय 10.30 एएम पर मनोज कानि ने मन उप पुलिस अधीक्षक को मौखिक रूप से अवगत कराया कि परिवादी लोकेश कुमार नागर ने फोन पर वार्ता कर सूचना दी है कि आरोपी कन्हैयालाल आज पंचायत समिति नैनवां में मौजूद है तथा उसने दिनांक 21.7.2025 को जारीशुदा पट्टे के पंजीकरण के दस्तावेज तैयार करवाकर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत सहित मुझे बुलाया है। उक्त सूचना पर ट्रेप कार्यवाही हेतु पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहो को कार्यालय में उपस्थित होने बाबत सूचित करने पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा व श्री मुकेश कुमार राठौर उपस्थित कार्यालय आये, जिनको कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा मालखाने में रखे पाउडर युक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण से निकलवाकर सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखवाये तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु सरकारी बोलेरो से श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस मय श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि मय चालक श्री प्रेम प्रकाश एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा व श्री मुकेश कुमार एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री इस्माईल अंसारी सउनि, श्री विक्रम सिंह कानि एवं श्री मनोज कुमार कानि मय ट्रेप बॉक्स मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री के चौकी बून्दी से प्राईवेट वाहन से रवाना होकर कस्बा नैनवां में रवीन्द्र स्कूल के पास बाईपास रोड नैनवां पहुंचा, जहां पर परिवादी लोकेश कुमार को तलब किया गया, कुछ समय बाद परिवादी उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी कन्हैयालाल पंचायत समिति नैनवां के कार्यालय में मौजूद है, जिसने मुझे जारीशुदा पट्टे के पंजीयन के दस्तावेज ईमित्र से तैयार करवाकर हस्ताक्षर करवाने के लिए रिश्वत राशि सहित बुलाया है। मेरे पिताजी ईमित्र पर दस्तावेज तैयार करवा रहे है, मै कुछ समय बाद दस्तावेज लेकर आता हूं। इस पर परिवादी को पंजीकरण के दस्तावेज लेकर आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय गवाह के कस्बा नैनवां में गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। समय करीब 1.40 पीएम पर परिवादी लोकेश कुमार नागर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया तथा बताया कि मेरे पिताजी ने कस्बा नैनवां में मौजूद ईमित्र की दुकान से हमारे मकान के पट्टे के पंजीयन के दस्तावेज तैयार करवा लिये है, जिन पर कन्हैयालाल सचिव जी हस्ताक्षर करते ही रिश्वत की मांग करेगे। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा से सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड से पाउडर युक्त नोटो के लिफाफे को निकलवाकर उसमें से 6 हजार रिश्वत राशि के नोट परिवादी की पेंट की दाहिनीं जेब में रखवाये गये एवं खाली लिफाफे को नष्ट किया गया। परिवादी को वक्त रिश्वत लेनदेन में होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर पंचायत समिति नैनवां रवाना किया एवं निगरानी हेतु कानि मनोज व विक्रम को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर परिवादी का इशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 2.11 पीएम पर श्री विक्रम सिंह कानि. 72 ने जर्ये मोबाईल फोन वार्ता कर आरोपी कन्हैया लाल गौतम द्वारा परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर से रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित किया। सूचना पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के रवीन्द्र स्कूल के पास बाईपास रोड नैनवां से रवाना

होकर कार्यालय पंचायत समिति नैनवां के परिसर के सामने पहुंचा, जहां पर परिवादी लोकेश कुमार नागर उपस्थित मिला। जिसने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी कन्हैयालाल गौतम नैनवां पंचायत समिति परिसर में स्थित महादेव जी के मन्दिर में गुलाबी रंग की शर्ट पहनकर बैठा हुआ है, जिसने मेरे पिताजी के नाम दिनांक 21.07.2025 को जारी पट्टे के पंजीकरण के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कर मुझे देई उप तहसील में पंजीकरण करवाने हेतु वापस लोटा दिये एवं हस्ताक्षर करने के बाद मेरे से 6 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनीं जेब में रखी है। जो अभी वही पर बैठा है एवं उसके पास एक व्यक्ति और बैठा है। पैसे देने के बाद मैने आपकी टीम के सदस्यो को सिर पर हाथ फेरकर इशारा कर दिया था एवं उनके आने पर श्री विक्रम सिंह कानिस्टेबल को मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर दिया था, जिसे उन्होने बन्द करके अपने पास रख लिया था। परिवादी द्वारा बताये गये अनुसार मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के पंचायत समिति नैनवां परिसर में स्थित महादेव जी मन्दिर पर पहुंचा, जहां पर परिवादी के बताये अनुसार महादेव जी के मन्दिर के सामने एक व्यक्ति गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए बैठा हुआ मिला। जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना नाम व पद का परिचय देकर उससे अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री दुर्गालाल जाति ब्राह्म्ण उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी अतिरिक्त चार्ज बालापुरा एवं करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी होना बताया एवं पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नन्द किशोर बैरवा कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत बालापुरा का होना बताया, नन्दकिशोर बैरवा ने बताया कि मै सरकारी काम से कन्हैया लाल जी के पास आया था, इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी नही है। डिटेनशुदा आरोपी कन्हैयालाल से परिवादी से 6 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी कन्हैयालाल गौतम ने बताया कि यह पैसा मैने लोकेश कुमार नागर से पट्टा बनाने के लिए डीएलसी शुल्क के अनुसार लिया है, जो मैने लेकर मेरी पेंट की जेब में रखे है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी लोकेश कुमार नागर ने आरोपी की बातो का खण्डन करते हुये कहा कि मेरे पिताजी श्री जगदीश प्रसाद नागर के नाम हमारे मकान की पुरानी जगह का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन कर दस्तावेज पेश किये थे। जिस पर कन्हैयालाल गौतम ने 4500 रूपये लेकर कोई रसीद नही दी एवं दिनांक 21.07.2025 को एक हजार वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। इसके बाद उक्त पट्टे का पंजीयन उप तहसील देई में करवाने के लिए कन्हैयालाल से सम्पर्क किया तो उसने उक्त पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में मेरे से 6 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एसीबी विभाग में प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 25.08.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था जिसमें मैने सचिव साहब से रिश्वत राशि कम करने के लिए निवेदन किया तो सचिव साहब ने रिश्वत राशि 6000 रूपये लिये बगैर पंजीकरण हेतु तैयार नही हुए। जिसके बाद आज दिनांक 27.08.2025 को कन्हैया लाल गौतम ग्राम विकास अधिकारी ने हमारे दिनांक 21.07.2025 को जारीशुदा पट्टे के पंजीकरण के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने के पश्चात मेरे से 6 हजार रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख ली। आरोपी कन्हैयालाल से परिवादी का दिनांक 21.07.2025 का जारीशुदा पट्टे की एवज में पूर्व में प्राप्त 4500 रूपये से सम्बन्धित रसीद चाही तो आरोपी द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अभी तक कोई रसीद नही काटी गई है। आरोपी कन्हैया लाल गौतम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने की स्पष्ट पुष्टि होने पर मौके पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह लक्ष्मीनारायण बैरवा से आरोपी की पहनी हुई पेंट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से परिवादी से ली गई रिश्वत की राशि 6 हजार रूपये बरामद हुई। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा के पास सुरक्षित रखवाया गया । आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी की पेंट की दाहिनी जेब से बरामशुदा रिश्वत राशि 6 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा के पास से प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान स्वतंत्र गवाह मुकेश कुमार से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से मिलान किये तो सभी 500-500 के नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये। इसके उपरान्त मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम के डिटेनशुदा आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी के महादेव मन्दिर से रवाना होकर पंचायत समिति नैनवां में स्थित मीटिंग हॉल में लेकर आये एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके उपरान्त कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के क्रम में आरोपी कन्हैया लाल की पेंट की दाहिनीं जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब के धोवन लेने हेतु स्टॉफ से पजामा मंगवाया जाकर आरोपी

की पेंट बदलवा कर पजामा पहनाया गया। इसके उपरान्त एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को उल्टा करके जेब का धोवन किया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली सील्ड कर मार्क पी अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरंग काला मिला, जिसमें आरोपी द्वारा एक सिम बीएसएनएल कम्पनी की उपयोग में लेना बताया, सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। कार्यवाही में परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर से उसके पिताजी जगदीश प्रसाद नागर के नाम ग्राम गुढा देवजी पंचायत समिति नैनवां में दिनांक 21.07.2025 को आरोपी कन्हैयालाल गौतम ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच पुष्पेन्द्र मीणा के सयुक्त हस्ताक्षर से जारीशुदा पट्टे के दस्तावेज प्राप्त किये जाकर अवलोकन किया गया तो दिनांक 27.08.2025 को पट्टा पंजीयन हेतु जर्ये ईमित्र तहसीलदार नैनवां के नाम 730 रूपये का ई चालान की प्रति, आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उप पंजीयक देई के नाम बिना आरोपी की उपस्थिती के पट्टा पंजीयन के प्रार्थना पत्र की प्रति, मूल पट्टा संख्या 438 दिनांक 21.07.2025 की प्रति, आरोपी द्वारा परिवादी के पिता के नाम जारी पट्टे के पंजीयन विलेख के दो पेज की प्रति एवं जमाबन्दी, आरोपी के आधार कार्ड संख्या [redacted] की प्रति एवं परिवादी के पिता श्री जगदीश नागर के आधार कार्ड संख्या [redacted] की प्रति एवं पंजीयन विलेख में गवाह विनोद कुमार एवं मनोज कुमार नागर के आधार कार्ड की प्रतियां संलग्न है। उक्त समस्त दस्तावेजो की छायाप्रति करवाकर श्री चम्पालाल तुनगारिया सहायक अभियंता पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी से प्रमाणित करवाई जाकर बतौर वजह सबूत शामिल कार्यवाही की गई एवं मूल दस्तावेज परिवादी को पंजीकरण हेतु वापस लोटाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री चम्पा लाल तुनगारिया सहायक अभियंता पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी उपस्थित आये, जिनसे परिवादी के पिता के नाम जारीशुदा पट्टा में राजकीय शुल्क के सम्बन्ध में पूछताछ की उक्त पट्टा जारी करने में प्रारम्भिक तौर पर करीब 200 रूपये की रसीद कटती है एवं यदि 2700 वर्गफीट से ज्यादा आवासीय पुश्तेनी वर्गफीट का पट्टा जारी किया जाता है तो उसकी गणना अलग से की जाती है। उक्त प्रकरण 1000 वर्गफीट से सम्बन्धित है। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी को परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर से कार्यालय पंचायत समिति नैनवां परिसर में स्थित महादेव जी के मन्दिर में पट्टा बनवाने एवं पट्टे का पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया में दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने की एवज में रिश्वत की मांग कर 6 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध पाया गया। कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के द्वारा करवाई गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की निशादेही से ट्रेप कार्यवाही एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद डिटेनशुदा आरोपी कन्हैयालाल से ग्राम गुढा देवजी ग्राम पंचायत की केस बुक, पट्टा बुक, रसीद बुक के सम्बन्ध में पूछताछ की तो बताया कि इस पंचायत का सारा रिकोर्ड बरसात के कारण मैने मेरे घर पर गांव बांसी में रखा हुआ है, वही पर पेश कर दूंगा। आरोपी कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.08.2025 व दिनांक 27.08.2025 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी कन्हैयालाल गौतम ग्राम विकास अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी कन्हैयालाल गौतम ग्राम विकास अधिकारी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि " मेरी आवाज की जांच नही करवाना चाहता हूं "। नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद आरोपी कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते मय आरोपी कन्हैया लाल को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से आरोपी के आवास की खाना तलाशी लेने हेतु कस्बा नैनवां से रवाना होकर ग्राम बांसी पहुंचा, जहां पर आरोपी कन्हैयालाल द्वारा ग्राम पंचायत गुढा देवजी की मूल पट्टा बुक, रसीद जमा बुक एवं केस बुक पेश करने पर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं फर्द जप्ती पृथक से मूर्तिब कर शामिल

कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त आवास तलाशी की प्रक्रिया पूर्ण कर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी कन्हैया लाल को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से ग्राम बांसी से रवाना होकर एसीबी चौकी बून्दी, आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई । तत्पश्चात परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर तथा आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 27.08.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी लोकेश कुमार नागर से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 मे तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 28.08.2025 को परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर तथा आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 25.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 27.08.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकोर्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे Chiptron MICROSD CARD कम्पनी के 4 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड दोनो वार्ताओं को UMORE कम्पनी के 8 GB/G25 के 03 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी (Copy) किया गया एवं हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात कार्यवाही की प्रक्रिया में आरोपी कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा परिवादी लोकेश कुमार नागर से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सरकारी मोबाईल में लगे KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकारी लेपटॉप के माध्यम से मूल मैमोरी कार्ड से UMORE कम्पनी के 8 GB/G25 के 02 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर कॉपी (Copy) किया गया है एवं हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री लोकेश कुमार नागर द्वारा ग्राम गुढा देवजी में स्थित उसके पिता जगदीश नागर के नाम स्थित पुस्तेनी मकान का ग्राम पंचायत गुढा देवजी मे पट्टा बनवाने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत गुढा देवजी के ग्राम विकास अधिकारी श्री कन्हैयालाल गौतम द्वारा दिनांक 21.07.2025 को स्वंय एंव सरपंच के हस्ताक्षर से एक हजार वर्ग फीट का पट्टा संख्या 438 जारी किया। उक्त पट्टे को जारी करने एंव पट्टे का उप पंजीयन कार्यालय देई जिला बून्दी में परिवादी के पिता जगदीश नागर के नाम पंजीकरण करवाने की एवज में आरोपी कन्हैयालाल द्वारा परिवादी से 6000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 20.08.2025 को लिखित रूप मे एसीबी चोकी बून्दी पर प्रस्तुत की गई। शिकायत का दिनांक 25.08.2025 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुढा देवजी पंचायत समिति नैनवां जिला बून्दी द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम दिनांक 21.07.2025 को जारीशुदा पट्टे के पंजीयन हेतु तैयार किये गये दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की एवज मे 6000 रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरांत दिनांक 27.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी कन्हैयालाल द्वारा परिवादी के पिता के नाम दिनांक 21.07.2025 को जारीशुदा पट्टा संख्या 438 के पंजीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के उपरांत पंचायत समिति नैनवा परिसर में परिवादी से 6000 रूपये रिश्वत प्राप्त कर पेन्ट की जेब में रखी। रिश्वत राशि आरोपी की पेन्ट की जब से बरामद कीं जाकर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण की गई। आरोपी के दोनों हाथों एंव पेन्ट की जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.08.2025 एंव रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 27.08.2025 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। परिवादी के पिता के नाम जारीशुदा पट्टे से संबंधित दस्तावेज केशबुक, पट्टाबुक, रसीदबुक जप्त की गई। आरोपी कन्हैया लाल पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी अतिरिक्त चार्ज बालापुरा एवं करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी .... कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 59 साल निवासी बांसी थाना देई जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी अतिरिक्त चार्ज बालापुरा एवं करवर तहसील नैनवां

जिला बून्दी राजस्थान के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमति अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, एसयू कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 574 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1271-74 दिनांक 29.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बून्दी, 3. उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी, उप महानिरीक्षक पुलिस- मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/08/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

[redacted]

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)